कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक 28.11.2022 द्वारा श्री बालचंद कारपेंटर, प्रधानाचार्य राउमावि सलोतिया जिला झालावाड का स्थानान्तरण राउमावि पापरा जिला भरतपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री बालचंद द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 6174/2022 बालचंद कारपेंटर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए थे, जिसके क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2023 द्वारा अपीलार्थी श्री बालचंद कारपेंटर के अभ्यावेदन को खारिज कर निस्तारित किया गया।

श्री बालचंद द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मान. राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष एक नवीन अपील संख्या 891/2023 बालचंद कारपेंटर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 द्वारा अपीलार्थी को नए सिरे से तीन विकल्पों का उल्लेख करते हुए विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं आदेश दिनांक 07.02.2011 को दृष्टिगत रखते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए उसका निस्तारण करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक आलोच्य आदेश दिनांक 06.02.2023 एवं स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.11.2022 का क्रियान्वयन मान. अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के संबंध में स्थगित किया गया है।

माननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने को दृष्टिगत रखते हुए राउमावि झालरापाटन (भूत भवन)/राउमावि निमोदा अथवा राउमावि बोरदा, झालरापाटन जिला झालावाड में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किए जाने अथवा आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.11.2022 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किए जा की मांग की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक पं.19(2)शिक्षा–2/10/पार्ट जयपुर दिनांक 07.02.2011 द्वारा राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को स्थानांतरण पर पदस्थापन में प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर पदस्थापन किए जाने की क्रियान्विति हेतु निर्देश प्रदत्त थे किन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 द्वारा पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों को अधिक्रमित (SUPERSEDE) करते हुए नवीन निर्देश जारी किए गए है, जिनमें राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर स्थानांतरण पर पदस्थापित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.02.1991 से एक ही जिले में कार्यरत हैं एवं वर्ष 2015 से उसी विद्यालय में कार्यरत है। इस प्रकार लगभग 07 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी को अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाने के उपरांत भी स्थानांतरण निरस्त किए जाने/इच्छित स्थान पर पदस्थापित किए जाने की अपीलार्थी की मांग उचित एवं तर्कसंगत नही है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय अधिकरण द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 06.02.2023 एवं 28.11.2022 का क्रियान्वयन स्थगित किया

गया था एवं उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है, अतः अपीलार्थी श्री बालचंद कारपेंटर को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2023 की पालना में अपने स्थानांतरित स्थान राउमावि पापरा जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/बालचंद कारपेंटर/891/2023/ **दिनांकः** 17. APR. 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,, कोटा/भरतपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड/भरतपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झालावाड/भरतपुर ।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झालरापाटन जिला झालावाड को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चत करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्री बालचंद कारपेंटर, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)